म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.

कमांक–कय/41/ 1480 **भोपाल, दिनांक–** 1/12/20

–: निविदा विज्ञप्ति :–

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल में फोटोकापी कार्य एवं मान. अध्यक्ष महोदय के कार्यालय निवास पर फोटोकापी ए–4 साईज के संचालन के लिये फोटोकापी मशीन एक वर्ष के लिये अनुबंध पर स्थापित की जाना है, जिसके लिये मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है निविदा दिनांक 23/12/20 को दोपहर 3.00 बजे तक (तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें पृथक–पृथक लिफाफे मे एवं दोनो लिफाफे एक बडे बंद लिफाफे मे) कार्यालय कें टेण्डर बाक्स मे जमा कराई जा सकती है, तथा नियत तिथी एवं समय तक स्पीड पोस्ट से भी स्वीकार की जायेगी। निविदायें दिनांक 24/12/20 उपस्थित निविदाकर्त्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) दिनांक–2/12/20 से दिनांक–22/12/20 तक राशि रूपये–2000.00 नगद जमा कर भण्डार शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र की शर्तें एवं नियम को मण्डी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त शर्ते निविदा फार्म मे भी विस्तृत रूप से उल्लेखित है।

प्रबंध संचालक

निविदा प्रपत्र

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

–: फोटो कापी कार्य के लिये निविदा प्रपत्र और शर्ते :–

1. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के मुख्यालय भवन में फोटोकापी कार्य के लिए फोटोकापी मशीन एक वर्ष के लिये स्थापित की जाना है। मुख्यालय भवन में कुल दो फोटोकापी मशीन तथा मान.अध्यक्ष महोदय के निवास कार्यालय पर एक मशीन स्थापित कराना होगी।
   - (अ.) अमानत राशि की सावधि जमा बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राशि रूपये 10,000/– लेखाधिकारी म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के नाम से देय।
   - (ब) **प्रथम लिफाफा** जिसमें यदि निविदा प्रपत्र बेवसाईड से डाउनलोड किया गया है तो निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये–2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक धरोहर राशि की सावधी जमा म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पक्ष मे संलग्न की जाना होगी, (सर्व प्रथम प्रथम लिफाफा खोला जावेगा उसमें उपयुक्त पाये जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जायेगा । प्रथम लिफाफा तकनीकी अर्हता का होगा जिसमें वांछित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य होगा। (प्रथम लिफाफा में चाहे गये दस्तावेज पूर्ण नहीं पाये गये तो द्वितीय लिफाफ़ा अर्थात फायनेंशियल बिड का लिफाफा नहीं खोला जावेगा)
   - (स) **द्वितीय लिफाफा** निविदा के साथ प्रस्तुत फायनेंशिल बिड के प्रपत्र सील बन्द लिफाफे में वित्तीय निविदा सहित दरों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा। यदि प्रथम लिफाफा अपूर्ण पाया गया तो द्वितीय लिफाफा नहीं खोला जायेगा अर्थात उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. फोटोकापी कार्य की क्षमता प्रतिमिनिट कम से कम 50 कापी से अधिक होना आवश्यक है।
3. फोटोकापी मशीन वर्ष 2018 से पूर्व की न हो नई उच्च क्षमता की होना चाहिए पुरानी मशीन मान्य नहीं होगी।
4. प्रत्येक फोटोकापी मशीन के साथ उसका ऑपरेटर संबंधित फर्म/ठेकेदार का होगा।
5. फोटोकापी मशीन में लगने वाली सामग्री जैसे–पेपर, टोनर, तथा मशीन से संबंधित अन्य सामग्री संबंधित फर्म/ठेकेदार की होगी। फोटो कापी मशीन पर ए–4 की फोटोकापी की सुविधा होना चाहिये।
6. फोटोकापी मशीन के रख–रखाव एवं मरम्मत की संपूर्ण जबाबदारी संबंधित फर्म/ठेकेदार की होगी इसके लिए कार्यालय द्वारा कोई पृथक से राशि का भुगतान नहीं दिया जायेगा।

7. फोटोकापी मशीन स्थापित करने के लिए स्थान और बिजली व्यवस्था की निःशुल्क सुविधा कार्यालय द्वारा संबंधित फर्म/ठेकेदार को दी जायेगी।

8. संबंधित फर्म को फोटोकापी का कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालयों मे कार्य करने का अनुभव हो प्रमाण स्वरूप कार्यालय से प्राप्त कार्यादेश प्रस्तुत करें।

9. सक्षम कार्यालय से व्यवसाय करने का बैध पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. फोटो कापी मशीन के खराब होने की स्थिति में संबंधित फर्म को तत्काल अपने व्यय पर मशीन सुधरवाना होगा। मशीन ठीक होने तक दूसरी फोटोकापी मशीन की व्यवस्था तत्काल करना होगी ताकि कार्यालय का कार्य प्रभावित न हो। बाजार से कार्य कराने पर व्यय राशि देयक में से काट ली जावेगी।

11. फोटोकापी मशीन पर फोटो कापी प्रिंट अस्पष्ट होने, अपठनीय होने तथा दाग धब्बे होने पर, मान्य नहीं की जावेगी तथा उनका भुगतान देय नहीं होगा।

12. फोटोकापी मशीन पर फर्म/ठेकेदार द्वारा नियुक्त किये गये ऑपरेटर को प्रतिदिन सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक अनिवार्यतः तथा आवश्यक होने पर इसके बाद तक कार्य संपादित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पूर्व सूचना पर कार्यालयीन अवकाश अवधि में भी उपस्थित होकर कार्य संपादित किया जाना अनिवार्य होगा इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

13. बोर्ड मुख्यालय के कार्य के अतिरिक्त बाहर का कोई भी कार्य अथवा व्यक्तिगत कार्य फोटोकापी मशीन पर नहीं किया जावेगा।

14. फोटो कापी करने के लिये शाखा के प्रभारी अधिकारी से संबंधित इन्डेन्ट फार्म (मॉग पत्र) पर लिखित आदेश मिलने पर ही कार्य संपादित किया जाये।

15. फोटोकापी के लिये प्रतिकापी के मान से दरों का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र मे स्पष्ट अक्षरो मे अंको एवं शब्दो मे पृथक पृथक देना होगा जिसमें लगाई जाने वाली फोटोकापी मशीन की कंपनी, मैक एवं सी.पी.एम. आदि का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। फर्म की सील/प्रोपराईटर के हस्ताक्षर, दिनांक, मोबाइल नंबर आदि का उल्लेख करना होगा । साथ ही यह स्पष्ट होना चाहिये कि उक्त दरों में जी.एस.टी. सम्मलित है या नहीं।

16. निविदा प्रस्तुत करते समय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के नाम से धरोहर राशि रूपये–10,000/– की एफ.डी.आर./ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा सिक्योरिटी राशि के रूप में अनुबंध के समय राशि रुपये 20,000.00 की सावधि जमा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत रूपये 10,000/– तथा अनुबंध के समय रूपये 10,000/– सिक्योरिटी के रूप में इस प्रकार कुल राशि रूपये 20,000/– अनुबंध अवधि के लिये जमा कराना आवश्यक होगा।

17. फोटोकापी मशीन के देयक निर्धारित बिल पत्रक मे प्रतिकापी की दर से माह समाप्त होने पर तिथिवार इन्डेन्ट जिनमे किये गये कार्य के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हो देंयक के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने के बाद ही भुगतान किया जायेगा तथा यदि आवश्यक हो तो देयक में से नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी. एन. कर, वाणिज्यकर तथा अन्य कर जो भी प्रभावशील होगा काटा जावेगा। संबंधित फर्म का स्थायी खाता कमांक, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी. एन.) के पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

18. जी.एस.टी.एन. नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

19. फोटोकापी मशीन अनुबंध पर लेने के लिए कार्यालय एवं संबंधित फर्म के बीच प्रथमतः एक वर्ष का अनुबंध 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर 15 दिवस की अवधि में किया जायेगा जिसका व्यय संबंधित फर्म/ठेकेदार को वहन करना होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से छः–छः माह करके अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 01 माह की सूचना देकर अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, और जमा धरोहर राशि राजसात की जा सकती है तथा एक वर्ष की अवधि तक निविदा में भाग लेने से रोका जा सकता है।

20. न्यूनतम निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने के पश्चात् अन्य निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि शीघ्र वापस की जावेगी।

21. फोटोकापी मशीन लगाने के लिये कार्यालय से जारी आदेश के सात दिवस में फोटोकापी मशीन अपने व्यय पर कार्यालय में स्वीकृत निविदाकर्ता फर्म/ठेकेदार को स्थापित कर कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

22. निविदा प्रपत्र मे तकनीकी विड तथा फायनेंशिल विड पृथक पृथक लिफाफे मे प्रस्तुत करना होगी तथा उन दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे मे बंद करना होगी सर्वप्रथम तकनीकी विड का लिफाफा खोला जायेगा। उसमे उपयुक्त पाये जाने पर ही फाइनेंशिल विड का लिफाफा खोला जायेगा । यदि तकनीकी विड का लिफाफा अपूर्ण पाया गया तो फायनेंशिल विड का लिफाफा नही खोला जायेगा अर्थात् उस पर कोई विचार नही किया जायेगा।

23. तकनीकी विड के लिफाफे मे निविदा दस्तावेज के साथ प्रदत्त तकनीकी विड का फार्म पूर्ण कर (1.) सक्षम कार्यालय से व्यवसाय करने का फर्म/ कंपनी वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र (2) विगत तीन वर्षो के शासकीय/अर्धशासकीय विभागो मे किये गये कार्यो के कार्यादेश (3) धरोहर राशि की रूपये–10,000/–की एफ.डी.आर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (4) टिन/जी.एस. टी.एन. नंबर का प्रमाण पत्र एवं प्रदाय कर्त्ता के स्थायी निवास एवं फर्म का पता (5) निविदा प्रपत्र मूल्य का बैक ड्राफ्ट यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर निकाला गया है। संबंधित फर्म का स्थायी खाता कमांक/वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति एवं फर्म का विगत तीन वर्ष (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के आयकर जमा रिटर्न की सी.ए.

द्वारा प्रमाणित प्रति तथा फायनेंशिल विड के लिफाफे मे पृथक से दरें स्पष्ट अक्षरों मे,(अंको एवं शब्दो मे) लिखें। जिसमे फर्म की सील एवं प्रोपराईटर के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना है। तथा दरों मे सभी कीमतें जिसमे यदि कोई टैक्स एवं अन्य खर्चो इत्यादि जोडने के बाद शुद्व मूल्य लिखा जावें, यदि दरे लिखने मे ओवर राइटिंग होती है तो नीचे शब्दो मे भी लिखे, साथ ही निर्धारित स्थान पर ही केवल शुद्व मूल्य लिखे । उक्त संलग्न किये जा रहे सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उपस्थित प्रतिनिधि उपरोक्त संलग्न/मागे जाने वाले दस्तावेजो की मूल प्रति भी साथ रखे।

24. निविदायें दिनांक–23.12.2020 को दोपहर 3.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी उक्त निविदाएं कार्यालय में रखे गये टेण्डर बॉक्स में नियत तिथी एवं समय तक डाली जाना अनिवार्य है। साथ ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी नियत तिथि एवं समय पर स्वीकार की जाकर टेण्डर बॉक्स में डाली जावेगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् स्पीड पोस्ट से प्राप्त होने वाली निविदाएं स्वीकार नहीं होगी। अतः यह निविदाकार का दायित्व होगा की वे अपनी निविदा नियत दिनांक एवं समय तक बोर्ड मुख्यालय को प्राप्त हो जावे। तथा नियत तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाएं दिनांक 24.12.2020 दोपहर 4.00 बजे निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।

25. निविदा प्रपत्र तथा निविदा की शर्ते मण्डी बोर्ड की बेवसाइट **www.mpmandiboard.co.in** पर भी उपलब्ध निविदा प्रपत्र/निविदा की शर्ते उक्त बेबसाइट से डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकते है। इस प्रकार की निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये–2000.00 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यह बैंक ड्राफ्ट '**लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल**' के नाम से बनाया जायेगा तथा यह ड्राफ्ट तकनीकी विड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा बिना निविदा प्रपत्र का मूल्य भुगतान किये प्रस्तुत की गई निविदा अमान्य कर दी जावेगी तथा फायनेंशियल बिड का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।

26. बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को होंगे।

27. उपरोक्त प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा पत्र के साथ संलग्न कर देना होगा। संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणिकता, पर्याप्तता के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय/विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

28. अनुबंध के पश्चात् किसी भी विवाद मे प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा एवं विवाद होने की स्थिति मे क्षेत्राधिकार जिला सत्र न्यायालय भोपाल रहेगा ।

29. अनुबंध होने के पश्चात् किसी भी कंडिका का उल्लंघंन किये जाने पर जमा शुदा अमानत राशि बोर्ड हित मे जप्त की जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व निविदाकार फर्म का होगा ।

30. निविदा प्रपत्र कार्यालय की भण्डार शाखा से दिनांक–2/12/20 से दिनांक 22/12/20........ तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) नगद जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते है तथा निविदा प्रपत्र तथा निविदा की शर्ते मण्डी बोर्ड की बेवसाइट **www.mpmandiboard.co.in** पर भी उपलब्ध निविदा प्रपत्र/निविदा की शर्ते उक्त बेबसाइट से डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकते है। इस प्रकार की निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये–2000.00 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा के साथ प्रथम लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यह बैंक ड्राफ्ट लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नाम से बनाया जायेगा जो वापसी योग्य नहीं है तथा यह ड्राफ्ट प्रथम लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा बिना निविदा प्रपत्र का मूल्य भुगतान किये प्रस्तुत की गई निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

31. देंयक का भुगतान के.वाय.सी. धारित खाते मे एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही किया जायेगा। नगद भुगतान किसी भी स्थिति मे नही किया जावेगा।

32. फर्म का विगत 03 वर्षो (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) के आयकर जमा रिटर्न की सी.ए.द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

33. फर्म की लापरवाही के कारण अनुबंध कर्त्ता संस्था को या संपत्ति को कोई क्षति या हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेंसी को करना होगी।

सहमति घोषणा पत्र

मैंने निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लीं हैं और मैं सभी शर्तों पर उक्त फोटो कापी कार्य करने के लिये सहमत हूँ। निविदा प्रपत्रों में दी गई शर्तों के अनुसार चाहे गये दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज़ कम होने पर निविदा को अमान्य किये जाने की शर्त मुझे स्वीकार है तथा इसके विरूद्ध मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जावेगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

निविदाकर्ता की फर्म का नाम ....

निविदाकर्ता के पत्र व्यवहार का पता ....

....

....

E-mail Address

....

Telephone/Mobile No. ....